संख्या-42/2025/ 1073/001-1885882

प्रेषक,

नेहा जैन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
कानपुर, उ0प्र0

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक 09 दिसम्बर, 2025

विषयः- साइबर सिक्योरिटी हेतु पीएमयू गठन हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य समन्वयक, सीईजी के पत्र संख्या-सीईजी/जी/93/119/2025, दिनांक 07-08-2025 एवं संख्या-सीईजी/जी/93/117/2025, दिनांक 05-08-2025 तथा संख्या-सीईजी/जी/93/110/2025, 01-08-2025 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी परियोजना क्रियान्वयन के क्रम में पीएमयू गठन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अनुदान-007 के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-2852- उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-23-साइबर सिक्योरिटी हेतु पी0एम0यू0 का गठन-42- अन्य व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रु0 220.00 लाख (रूपये दो करोड़ बीस लाख मात्र) के सापेक्ष धनराशि रु. 73.00 लाख (रुपये तिहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, उद्योग द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि इसके भुगतान में संबधित योजना में निविदा/कार्यादेश की शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक, उद्योग कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त राज्य समन्वयक सी0ई0जी0 द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज निदेशक, उद्योग कानपुर तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा। तात्कालिक आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर ही राजकोष से धनराशि का आहरण किया जायेगा। कार्यदायी संस्था के देयकों का नियमानुसार तत्काल भुगतान कर उसकी सूचना अविलम्ब राज्य समन्वयक, सीईजी द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) स्वीकृत धनराशि में भुगतान से पूर्व राज्य समन्वयक, सीईजी सम्बन्धित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लेंगे तथा प्रस्तुत बिलों को सत्यापित करा लेंगे।

(8) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व उ0प्र0 बजट मैनुअल, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए राज्य समन्वयक, सीईजी उत्तरदायी होंगे।

(9) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन एवं मानक मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है एवं वास्तविक व्यय के आधार पर ही धनराशि का आहरण एवं भुगतान किया जाएगा।

(10) राज्य समन्वयक, सीईजी धनराशि से सम्बन्धित आकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसे राज्य समन्वयक, सीईजी द्वारा राजकोष में जमा कराते हुये उसकी प्रमाणिक सूचना शासन को भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(12) धनराशि प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा राजकोष से धनराशि आहरित कर राज्य समन्वयक सीईजी को उपलब्ध करायी जायेगी।

(13) राज्य समन्वयक, सीईजी यह सुनिश्चित कर लेगें कि किसी भी स्थिति में दोहरा भुगतान न किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रु0 73.00 लाख (रुपये तिहत्तर लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 2852072022300 साइबर सिक्योरिटी हेतु पी.एम.यू. का गठन **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-6-76-X-2025-26, दिनांक 03.12.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया

नेहा जैन

विशेष सचिव

<u>संख्या एवं तद्दिनांक तैदव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

7. प्रबन्ध निदेशक, यूपी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

9. अनु सचिव/नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।

10. आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

नेहा जैन

विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।